



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]
No. 03]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2017/माघ 03, 1938
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2017/MAGHA 03, 1938

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2017

फा. सं. 2016/ई एण्ड आर/1/(3)/12.—एतद्वारा आम सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने विनिश्चय किया है कि उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल तथा उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद मंडल के क्षेत्राधिकार में संशोधन किया जाए।

उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के मानिकपुर स्टेशन (सहित) लिंक-जंक्शन स्टेशन किमी 1419.22 से किमी 1347.85 तक का क्षेत्राधिकार उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद मण्डल में अन्तरित कर दिया गया है।

क्षेत्राधिकार में किए गए उपर्युक्त परिवर्तन 1 फरवरी, 2017 से प्रभावी होंगे।

आर के वर्मा, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2017

F. No. 2016/E & R/1(3)/12.—It is hereby notified for general information that keeping in view the operational requirements, Central Government has decided to revise the jurisdiction of Jhansi and Allahabad Divisions of North Central Railway.

The jurisdiction from Manikpur Station (including) - Link Jn. Station Km. 1419.22 to Km. 1347.85 of Jhansi Division of North Central Railway has been transferred to Allahabad Division of North Central Railway.

The changes in the above jurisdiction will come into effect from 1st February, 2017.

R. K. VERMA, Secy.